

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30/4/21</p>	<p>पगावली आज पेश है। साखिया आदेश की पालना में नोक्सि जारी किया जाकर पगावली दिनांक 21-5-21 को पेश हो। A</p>	<p>764 516/21</p>
<p>21-5-21</p>	<p>पगावली आज पेश है। प्राची/कपीलानी के कपना पक्ष रखे रहते रत न्यायालय के विद्य के रकब से उपा रहे हले नोक्सि किया गया जिसे मात्र 15 दिवस ही हुए लक्ष्य किया जाकर पगावली दिनांक 18-6-21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>18/6/21</p>	<p>पगावली आज पेश है। साखिया आदेश की पालना में नोक्सि जारी किया जाकर पगावली दिनांक 16/7/21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>928 2116/21</p>
<p>16/7/21</p>	<p>पगावली आज पेश है। कमीशनर द्वारा यह कमील अन्तर्गत धारा 19(L) सूचना के अधिनियम, अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना अधिनियम 1980 सेजत के पेश का ब्योक्तिन सूचना उपलब्ध करीत हेतु तियेदत किया गया है इस न्यायालय द्वारा यह सेजत के पत्र लिखा गया तो अहोरे अफे फाक 387 के काय कपी के अन्तर्गत कार्यलय में उपलब्ध सूचना प्रदान करि फाक 388 डि० 22/10/20 के करि जा पली है सूचना की प्रति यह न्यायालय को भी भेजित की गरी इस समयक के कमीशनर द्वारा चर चरि जवाब प्रेषित किए गए। उक्त समयक के भी यह सेजत से जवाब पा लिने पाई जितका जवाब प्राप्त होने पर कमील को कमील कपना पक्ष रखते हेतु नोक्सि जारी किया गया। कमील को करि फाक 764 व 928 के द्वारा नोक्सि किया गया दोनो ही का कपीलानी के पक्ष हे एक नोक्सि ब्योक्तिन जो हेतु अहोरे पत्र दोनो कमील के साथ प्राप्त हुये है लोकि कमीलके उपलब्ध नोक्सि। एसी स्थिति में कमील से को भी कमील कवयेष नही होती निराल कपी. की शकत सब नही होवेत यह कमील उरी स्त पर drop की जारी है पगावली सुना फैसल की जका ग से इस न्यायालय से कर हो। A जिला कलेक्टर, पाली</p>	